प्रैस विज्ञप्ति

दिनांकः 07.11.2020

12 घण्टे के अन्दर राजेन्द्र सिंह हत्याकाण्ड का खुलासा, दोनो हत्यारोपी आलाकत्ल ब्लैड सहित गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 06/07.11.2020 की रात्रि में समय करीब 03.45 बजे वादी संजय कुमार पुत्र वेद प्रकाश निवासी ग्राम इमलिया थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी थी कि उसका भाई राजेन्द्र जो पायल किराना/परचून स्टोर के नाम से स्याना रोड़ बुलन्द फ्लोर मिल के सामने हीरापुर में दुकान चलाता है। दिनांक 06.11.2020 को दोपहर 02 बजे अभियुक्त भारत व अंकुश उसके भाई राजेन्द्र को दुकान से दावत खिलाने के बहाने मोटर साईकिल पर बैठाकर ले गये तथा अभियुक्तों द्वारा वादी के भाई राजेन्द्र के फोन से आवाज बदलकर वादी को फोन कर 07 लाख रुपये की मांग की गयी। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मुअसं-1006/20 धारा 364ए भादवि बनाम भारत व अंकुश उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना में संलिप्त नामित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक अपराध/नगर के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में स्वाट टीम व थाना कोतवाली देहात पुलिस को लगाया गया था।

आज दिनांक 07.11.2020 को प्रातः 06.15 बजे पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त भारत व अंकुश को शिकारपुर अड्डे से गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि राजेन्द्र व हम दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे और अक्सर एक साथ खाते पीते थे तथा राजेन्द्र के अभियुक्त भारत पर काफी पैसे उधार हो गये थे। अभियुक्त भारत द्वारा राजेन्द्र को पैसे न देने पड़े इसलिए अभियुक्त भारत अपने साथी अंकुश के साथ मिलकर राजेन्द्र को उसकी दुकान से मीट/दावत खिलाने के बहाने मोटर साईकिल पर बैठाकर चल दिये तथा रास्ते में मण्डी चौराहे के पास से मीट की सब्जी खरीदी और पहले से ही भारत ने नीन्द की 20 गोलियां खरीद रखी थी। तीनों हजरतपुर के जंगल में स्थित लीची के बाग में पहुँचे जहाँ पर तीनों ने बीयर का सेवन किया। इसके उपरान्त मीट/भोजन खाया तथा राजेन्द्र के मीट/भोजन में नशीली गोलियां मिलाकर उसे खिलायी गयी। राजेन्द्र के बेहोश होने पर ब्लैड से उसकी गर्दन की नश काटकर हत्या कर शव को पत्तियों में छिपाकर वापस आ गये तथा शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से पुनः वापस गये और शव को पास के ही एक सुखे कुएं मे डाल दिया था। इसके बाद मृतक के परिजनों को भ्रमित करने के लिए आवाज बदलकर मृतक राजेन्द्र के ही मोबाइल फोन से उसके भाई को फोन कर कहा गया कि तुम्हारे भाई का अपहृण हो गया है इसलिए 07 लाख रुपये की फिरौती तैयार रखना। जब हम बतायेंगे तो पहुँचाना। चूँकि अभियुक्तगण हत्या पहले ही कर चुके थे, केवल परिजनों को भ्रमित करने के लिए फिरौती की मांग की गयी थी ताकि परिजनों का ध्यान इनकी ओर न जाकर किसी अपराधिक गिरोह की तरफ जाये। अभियुक्तों की निशादेही पर मृतक राजेन्द्र के शव को ग्राम हजरतपुर के जंगल कुएं से बरामद किया गया तथा आलाकत्ल ब्लैड भी बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1- भारत पुत्र बाबूराम निवासी हीरापुर थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर।

2- अंकुश पुत्र कन्हैया निवासी ग्राम बंगला पूठरी थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर।

बरामदगीः-

1- 02 ब्लैड (आलाकत्ल)

2- अभियुक्तों के रक्त रंजित कपड़े

अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।